


क्र. सं.	दिनांक यात्रा या कार्यवाही	यात्रा विस्तृत रूप से
	15/12/22	<p>पहावली आठ वक्रील वादी के दावा वादी की विज्ञो किए जाने हेतु पेश करने पर रावे की पहावली के साथ तलब की गई। दावा वादी विज्ञो किए जाने के आधी का प्रपत्र भी विज्ञो (अधारिज) लिया जाता है। प्र. पत्र अचारिज किए जाने से न्यायालय को सर्व आदेश दिनांक 22/11/21 का प्रभाव हीन हो गया। पहावली बाद वक्रील वाखिल एफ्टर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड मरीचरी उपखण्ड, चाकपुर (मिथुन) </p>